न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 60/2009 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

चेतराम पुत्र ईश्वरचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बा भुसावर उपतहसील भुसावर तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रविन्द्र } पिसरान यादराम
2. इन्द्रदत्त }
3. श्रीमती रजनी वेवा } देवेन्द्र
4. हेमन्त पुत्र }

जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बा भुसावर उपतह0 भुसावर तहसील वैर जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर दिनांक 08.06.2009 मि. नं. 143/09 उनवानी चेतराम बनाम रवीन्द्र।

उपस्थितिः–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा वकील अपीलांट।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय दिनांक–10.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2009 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि असल अपीलाण्ट/वादी द्वारा एक दावा विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके कस्बा भुसावर को अपीलाण्ट/वादी व उसके सगे भाई काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी अपीलाण्ट/वादी के पिता व रैस्पो0/प्रतिवीदगण के बाबा की है एवं विरासतन प्राप्त हुई है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से रैस्पो0/प्रतिवादीगण के पिता, बाबा व ससुर स्व0 यादराम के नाम सम्पूर्ण आराजी का इन्द्राज हो रहा है, जो

खिलाफ मौका एवं कलमजन योग्य है। अतः वाद प्रस्तुत कर, खातेदारी अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा, बाद सुनवाई एक पक्षीय अपीलाण्ट/वादी, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद अनुपस्थित हैं, अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में जाई जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ हैं व काबिल निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय इस इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि अपीलाण्ट व रैस्पो0 की पैतृक सम्पत्ति है, जो रिकार्ड से साबित होती है। विवादित आराजी में अपीलाण्ट व रैस्पो0 के पूर्वज यादराम वहिस्सा बराबर के हिस्सेदार है व उनको भूमि उनके पूर्वज ईश्वर से विरासत में प्राप्त हुई है, मात्र एक भाई के नाम सहवन से राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो जाने से दूसरे भाई के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि रैस्पो0/प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना, अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आये एवं ना ही उनकी ओर से कोई जबाव दावा ही प्रस्तुत हुआ है। इस प्रकार उनके द्वारा केस को किसी भी प्रकार कन्टटेस्ट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में कानूनन अपीलाण्ट/वादी का दावा उसके हक में डिक्री होना चाहिए था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2009 को अपास्त किया जावें एवं दावा अपीलाण्ट/वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाण्ट का प्रस्तुत अपील में प्रमुखता से यह कथन रहा है कि विवादित आराजी, उनके पूर्व पुरूष ईश्वरचन्द द्वारा छोडी हुई, पैतृक आराजी है। ईश्वरचन्द की मृत्यु के बाद यादराम के कर्ता खानदान होने के कारण, सम्पूर्ण विवादित आराजी अकेले यादराम के नाम दर्ज हो गयी है, जो कानूनन गलत है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नकल खसरा टीप मौजा भुसावर संवत 2005 से 2008 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1464, 1465 खुद काश्त ईश्वर वगै0 दर्ज है, जिसमें खसरा नम्बर 1464 में गिर्राज पुत्र हरवक्स, गैर मौरूसी एवं खसरा नम्बर 1465 में ईश्वर की खुदकाश्त चौथाई, शेष पर साजी भुल्लन वगै0 तीन चौथाई, गैर मौरूसी दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2061–64 कस्बा भुसावर प्रथम में विवादित आराजीयात रैस्पो0/प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष, यादराम बल्द ईश्वर के नाम खातेदारी इन्द्राज है। इस प्रकार संवत 2008 तक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाण्ट/वादी के पिता ईश्वर चन्द का नाम दर्ज रहना स्पष्ट है। परन्तु संवत 2008 से 2061 के बीच विवादित आराजी बाबत् क्या अंकन रहे, अधिकार अभिलेख में, इन्द्राजों में क्या–क्या परिवर्तन किस प्रकार हुए बाबत् कोई रिकार्ड अपीलाण्ट/वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट/वादी ने ईश्वर चन्द का वंशज होने का भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार अपीलाण्ट/वादी अपने दावे को सिद्ध करने में असफल रहें हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, उचित रूप से अपीलाण्ट/वादी का दावा खारिज किया है। जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2009 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 10.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official